Postal Reg. No. : XXXXXXXXX

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡدِ

وَلَقَدۡ نَصَرَکُمُ اللّٰہُ بِبَدۡرٍ وَّاَنۡتُمۡ اَذِلَّۃٌ

वर्ष 1

साप्ताहिक क़ादियान

बदर

The Weekly BADAR Qadian HINDI

अंक 10

मूल्य 300 रुपए वार्षिक

संपादक शेख़ मुजाहिद अहमद

12 मई 2016 ई

4 शअबान 1437 हिजरी कमरी

अख़बार-ए-अहमदिया

रूहानी ख़लीफ़ा इमाम जमाअत अहमदिया हज़रत मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहिब ख़लीफ़तुल मसीह ख़ामिस अय्यदहुल्लाह तआला बेनस्रेहिल अज़ीज सकुशल हैं। अलहम्दोलिल्लाह। अल्लाह तआला हुज़ूर को सेहत तथा सलामती से रखे तथा प्रत्येक क्षण अपनी फ़जल नाज़िल करे। आमीन

अफसोस कि मेरे विरोद्धियों को बावजूद इतना लगातार नामुरादी मेरे बारे में किसी समय न महसूस हुआ कि इस व्यक्ति के साथ छुपा हुआ एक हाथ है जो उनके हर एक हमले से उसे बचाता है। अगर दुर्भाग्य न होता तो उनके लिए यह एक चमत्कार था कि उनके प्रत्येक हमले के समय ख़ुदा ने मुझे उनकी बुराई से बचाया और न केवल बचाया बल्कि पहले से ख़बर भी दे दी कि वह बचाएगा।

उपदेश हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम

ख़ुदा के रसूल को मानना तौहीद के मानने के लिए आवश्यक कारण की तरह है और उनके आप से ऐसे संबंध हैं कि एक दूसरे से अलग हो ही नहीं सकते। और जो व्यक्ति बिना रसूल के पालन के एकेश्वरवाद का दावा करता है उसके पास केवल एक सूखी हड्डी है जिस में मेरुदण्ड नहीं और उसके हाथ में केवल एक मुर्दा चिराग़ है जिस में प्रकाश नहीं है और ऐसा व्यक्ति जो यह समझता है कि अगर कोई व्यक्ति ख़ुदा को भी ला शरीक जानता हो और आँ हज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम को न मानता हो, वह मुक्ति पाएगा। वास्तव में समझो कि उसका दिल कुष्ठ रोग से पीड़ित है और वह अंधा है और उस को एकेश्वरवाद की कुछ भी ख़बर नहीं कि क्या बात है ... जो लोग ऐसा विश्वास रखते हैं कि बिना इसके कि कोई आँ हज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम पर विश्वास लाए केवल तौहीद के स्वीकार करने से उसकी मुक्ति हो जाएगी, ऐसे लोग छिपे मुर्तद हैं और वास्तव में वे इस्लाम के दुश्मन हैं और अपने लिए स्वधर्म त्यागने के रास्ते निकालते हैं उनका समर्थन करना किसी धार्मिक का काम नहीं है। अफसोस कि हमारे विरोधी भी मौलवी और विद्वान कहलाने के उन लोगों की ऐसी हरकतों से ख़ुश होते हैं। वास्तव में यह बेचारे हमेशा इसी खोज में रहते हैं कि कोई कारण ऐसा पैदा हो जाए कि जिस से मेरा अपमान और हानि हो। मगर अपनी दुर्भाग्यवश अन्त में ना मुराद ही रहते हैं। पहले उन लोगों ने मेरे पर कुफ्र का फतवा तय्यार किया और लगभग दो सौ मौलवी ने उस पर मुहरें लगाईं और हमें काफिर ठहराया गया। और इन फतवों में यहाँ तक सख़्ती की गई कि कुछ विद्वानों ने यह भी लिखा है कि ये लोग काफिर होने में यहूदियों और ईसाइयों से भी बदतर हैं और आमतौर पर यह भी फतवे दिए कि उन लोगों को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन नहीं करना चाहिए। और उन लोगों के साथ सलाम और हाथ मिलाना नहीं चाहिए। और उनके पीछे नमाज़ सही नहीं काफिर जो हुए। बल्कि चाहिए कि ये लोग मस्जिदों में प्रवेश न होने पाऐं क्योंकि काफिर हैं। मस्जिदें उनसे गन्दी हो जाती हैं। और अगर घुस जाएं तो मस्जिद को धो डालना चाहिए। और उनका माल चुराना सही है और ये लोग क़त्ल किए जाने के योग्य हैं क्योंकि ख़ूनी महदी के आने से और जिहाद से इनकार करते हैं। मगर फिर भी इन फतवों ने हमारा क्या बिगाड़ा। जिन दिनों में यह फतवा देश में प्रकाशित किया गया था उन दिनों में दस आदमी भी मेरी बैअत में ना थे मगर आज ख़ुदा तआला की कृपा से तीन लाख से भी अधिक हैं और सच्चाई के इच्छुक बड़े ज़ोर से इस जमाअत में प्रवेश कर रहे हैं। क्या मोमिनों के मुक़ाबला में काफिरों की मदद ख़ुदा ऐसी ही किया करता है। फिर इस झूठ को तो देखो कि हमारे ज़िम्मे यह आरोप लगाते हैं कि मानो हम ने बीस करोड़ मुसलमान और कलमा कहने वालों को काफ़िर ठहराया। हालांकि हमारी ओर से काफिर कहने में कोई बढ़त नहीं हुई। ख़ुद ही उनके विद्वानों ने हम पर कुफ्र के फतवे लिखे और सारे पंजाब और भारत में शोर डाला कि वे काफिर हैं और मूर्ख लोग इन फतवों से ऐसे हम से निराश हो गए कि हम से सीधे मुंह से कोई नरम बात करना भी उनके पास गुनाह हो गया। क्या कोई मौलवी या कोई और विरोधी या कोई सज्जादा नशीन यह सबूत दे सकता है कि पहले हम ने उन को काफिर ठहराया था। अगर कोई ऐसा कागज़ या इश्तेहार या पत्रिका हमारी तरफ से उन लोगों के कुफ्र के फत्वा से पहले प्रकाशित हुआ है जिस में हम ने विरोधी मुसलमानों को काफ़िर ठहराया हो तो वह पेश करें नहीं तो ख़ुद सोच लें कि यह कितना विश्वासघात है कि काफ़िर तो ठहराऐं आप और फिर हम पर यह आरोप लगाऐं कि मानो हम ने सारे मुसलमानों को काफ़िर ठहराया है इतना विश्वासघात और झूठ और घटना के ख़िलाफ झूठ बोलना कितना दिल दुखाने वाली तकलीफ़ है। प्रत्येक विचारशील सोच सकता है? और फिर जब हमें अपने फतवों के माध्यम से काफिर ठहरा चुके और आप इस बात के लिए राज़ी भी हो गए कि जो मुस्लिम को काफिर कहे तो कुफ्र उलट कर उसी पर पड़ता है तो इस मामले में क्या हमारा अधिकार नहीं था कि उन्हीं के स्वीकार करने कि हम उन्हें काफिर कहते।

अत: उन लोगों ने कुछ दिनों तक इस झूठी ख़ुशी से अपना दिल ख़ुश कर लिया कि यह लोग काफिर हैं। और फिर जब वह ख़ुशी बासी हो गई और ख़ुदा ने हमारी जमाअत को पूरे देश में फैला दिया तो किसी और योजना की खोज में लगे।

तब इन्हीं दिनों में मेरी भविष्यवाणी के अनुसार पंडित लेखराम आर्य समाज को समय सीमा के अंदर किसी ने कत्ल कर दिया मगर अफसोस कि किसी मौलवी को यह विचार न आया कि भविष्यवाणी पूरी हुई और इस्लामी निशान प्रकट हुआ बल्कि कई ने उन में से बार-बार सरकार को ध्यान दिलाया कि क्यों सरकार भविष्यवाणी करने वाले को नहीं पकड़ती मगर इस इच्छा में भी असफल और अपमानित रहे। और फिर कुछ दिनों के बाद डॉक्टर पादरी मार्टिन क्लार्क ने एक ख़ून का मुकदमा मेरे पर दायर किया। फिर क्या कहना था इतनी ख़ुशी उन को हुई कि मानो अपने आप में फूले न समाते थे। और कुछ मस्जिदों में सज्दे कर के मेरे लिए इस मुकदमें में फांसी आदि की सज़ा मांगते थे और इस इच्छा में इतने सजदे रो रो के किए थे कि उनकी नाकें भी घिस गईं मगर अंत में ख़ुदा तआला के वादे के अनुसार जो पहले प्रकाशित किया गया था आदर से बरी किया गया और आज्ञा दी गई कि अगर चाहें तो इन ईसाइयों पर मुकदमा करो। संक्षेप में इस आकांक्षा में भी हमारे विरोधी मौलवी और उनके पदचिह्न नामुराद ही रहे।

फिर कुछ दिनों के बाद करम दीन नामक एक मौलवी ने आपराधिक मुकदमा गुरदासपुर मेरे नाम दायर किया और मेरे विरोधी मौलवियों ने उसके समर्थन में आत्मा राम सहायक कमीशनर की अदालत में जाकर गवाही दीं और नाख़ुनों तक ज़ोर लगाया और उन्हें बड़ी उम्मीद हुई कि अब की बार अवश्य सफल होंगे और उन्हें झूठी ख़ुशी पहुंचाने के लिए ऐसा संयोग हुआ कि आत्मा राम ने इस मामले में अपनी ना-फहमी के कारण पूरा विचार न किया और मुझे कैद की सज़ा देने के लिए तय्यार हो गया। तब ख़ुदा ने मेरे पर प्रकट किया कि वह आत्मा राम को उस की औलाद के शोक से पीड़ित करेगा तो इस कशफ़ को मैंने अपनी जमाअत को सुना दिया। और फिर ऐसा हुआ कि लगभग बीस पच्चीस दिन के समय में दो पुत्र मर गए और अंत में यह सहमति बनी कि आत्मा राम कैद तो मुझे न कर सका हालांकि फैसला लिखने में उस ने कैद करने का आधार भी बांधा मगर आख़िर में ख़ुदा ने उसको इस हरकत से रोक दिया। लेकिन हालांकि उसने सात सौ रुपए जुर्माना किया। फिर डिवीज़नल जज की अदालत से सम्मान के साथ मैं बरी कर दिया गया और करम दीन की सज़ा कायम रही और मेरा जुर्माना वापस हुआ। मगर आत्मा राम के दो बेटे वापस न आए।

इसलिए जिस ख़ुशी प्राप्त करने की करम दीन के मामले में हमारे विरोधी मौलवियों को तमन्ना थी वह पूरी न हो सकी और ख़ुदा तआला की इस भविष्यवाणी के अनुसार जो मेरी किताब "मवाहेबुर्रहमान" में पहले से छप कर प्रकाशित हो चुकी थी मैं बरी कर दिया गया और मेरा जुर्माना वापस किया गया और हाकिम को आदेश के रद्द करने के साथ यह चेतावनी हुई कि यह आदेश उसने व्यर्थ दिया। मगर करम दीन को जैसा कि "मवाहेबुर्रहमान" में प्रकाशित किया गया था सज़ा मिल गई और अदालत की राय से उसके झूठा होने पर मुहर लग गई और हमारे सभी विरोधी मौलवी अपने लक्ष्यों में नामुराद रहे। अफसोस कि मेरे विरोद्धियों को बावजूद इतना लगातार नामुरादी मेरे बारे में किसी समय न महसूस हुआ कि इस व्यक्ति के साथ छुपा हुआ एक हाथ है जो उनके हर एक हमले से उसे बचाता है। अगर दुर्भाग्य न होता तो उनके लिए यह एक चमत्कार था कि उनके प्रत्येक हमले के समय ख़ुदा ने मुझे उनकी बुराई से बचाया और न केवल बचाया बल्कि पहले से ख़बर भी दे दी कि वह बचाएगा। और हर एक बार और प्रत्येक मामले में ख़ुदा तआला मुझे ख़बर देता रहा कि मैं तुझे बचाऊंगा। इसलिए वह अपने वादे के अनुसार मुझे सुरक्षित रखता रहा। ये ख़ुदा के प्रतापी निशान हैं कि एक तरफ दुनिया हमारे मारने के लिए जमा है और एक तरफ वह सामर्थवान ख़ुदा है कि उनके हर एक हमले से मुझे बचाता है।

(हकीकतुल वह्यी, रूहानी खज़ायन, भाग 22, पृष्ठ 122 से 125)

☆ ☆ ☆

जमील अहमद नासिर प्रिंटर एवं पब्लिशर ने फ़ज़्ल-ए-उमर प्रिंटिंग प्रेस क़ादियान में छपवा कर दफ़्तर अख़बार बदर से प्रकाशित किया। प्रौपराइटर - निगरान बदर बोर्ड क़ादियान

सम्पादकीय दावत इलल्लाह का महत्तव और इस के प्रमुख सिद्धान्त(भाग -1)

मुहम्मद हमीद कौसर

दाई अरबी भाषा का शब्द है जिस का शाब्दिक अर्थ है "बुलाने वाला" अर्थात् दाई इलल्लाह का अर्थ हुआ "अल्लाह की ओर बुलाने वाला" अरबी भाषा में इसका बहुवचन है "دُعاةُ اِلی اللہِ"जिसका अर्थ है अल्लाह की ओर बुलाने वाले बहुत से लोग। मुहम्मद हमिद कौसर

तहरीक दावत इलल्लाह में सम्मिलित होना

इस पवित्र तहरीक में शामिल होने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि वह अन्य लोगों को भी एक अल्लाह की ओर बुलाए तथा इसी प्रकार अल्लाह तआला द्वारा स्थापित धर्म "इस्लाम" ओर विशेष रूप से मुसलमानों को हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के आदेशानुसार हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम की बैअत करके जमाअत अहमदिया में शामिल होने का आग्रह करे। दावत इलल्लाह का महत्तव और इस के प्रमुख सिद्धान्त

जमाअत अहमदिया के लोगों से निवेदन है की वे भी अधिक से अधिक इस तहरीक में शामिल होकर इस तहरीक का महत्त्वपूर्ण अंग बनते हुए अन्य लोगों को भी खुदा की ओर बुलाने वाले बनें। इस तहरीक में शामिल होने वाले समस्त लोग (मर्द, औरतें, युवा) इन सब पर अत्यावश्यक होगा की वह अपने निजी कार्यों के अतिरिक्त अपने माहौल (परिवेश) अपने इलाके अपने सम्बन्धी, मित्रों इसी प्रकार अन्य लोगों को प्रचार करें। प्रत्येक जमाअत में सेक्रेटरी "दावत ए इलल्लाह" मौजूद है उन्हें अपना नाम लिखवाएँ तथा यह प्रण लें कि मैं समस्त रूप से इस तहरीक "दावत ए इलल्लाह" में शामिल होता हूँ तथा अपनी योग्यता एवं क्षमता अनुसार तब्लीग़ करूँगा।

तब्लीग़ करना अत्यन्त शुभ कार्य है। समस्त अवतार, पैगम्बरों ने इस महत्त्वपूर्ण कार्य को किया है।

अल्लाह तआला ने हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम को दाई इलल्लाह घोषित किया है। आप के मार्ग पर चलते हुए जो इस महत्त्वपूर्ण कार्य को करता है तो अल्लाह तआला उस पर अपनी दया दृष्टि, कृपा करते हुए प्रत्येक प्रकार की नेअमतों से परिपूर्ण करता है। इस लिए प्रत्येक व्यक्ति को इस पवित्र तहरीक में शामिल होना चाहिए, अल्लाह तआला सामर्थ्य दे। आमीन। महत्तव

इस बात को भी हमेशा सामने रखें की प्रचार (तब्लीग़) करते समय कुछ लोग जिन्हें सच्चाई का ज्ञान नहीं है वह इस पवित्र कार्य में अवश्य विघ्न बाधाएं उत्पन्न करने का प्रयास करेंगे। परन्तु हमें इन विघ्न ओर बाधाओं अर्थात् इन दुखों को सब्र तथा दुआओं के साथ सहन करना होगा। ऐसे कठिन समय में ही अल्लाह तआला अपनी शक्तियों के नमूने भी दिखाता है। इस सम्बन्ध में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फ़रमाते हैं:-

अर्थात: मनुष्य को तब्लीग करना और अल्लाह ताला की तरफ बुलाना आसान काम नही ! इस रास्ते पर दाइन-ए-इलल्लाह को कठिनाई के पहाड़ों और रास्तों के कांटो का सामना करना होगा !!

दावत इलल्लाह का महत्तव

प्रिय पाठको ! अल्लाह तआला क़ुर्आन मजीद में फ़रमाता है।

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ (अज़्ज़ारियात - 57)

अर्थात: और मैंने जिनों तथा इंसानों को केवल अपनी इबादत के लिए पैदा किया है।

इस लिए प्रत्येक मनुष्य का कर्त्तव्य है की वह एक सच्चा धर्म प्रचारक व सच्चा पार्थक बन जाए। यही इबादत उस की अंतरात्मा को शांति प्रदान करेगी। जैसा कि पवित्र कुरान में एक और स्थान पर आता है।

اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ (अर्रअद - 29)

अर्थात् तुम केवल इतना ही जान लो की अल्लाह तआला की उपासना में ही मन की शांति है।

मानवता का इतिहास भी इस बात को प्रमाणित करता है की जब मनुष्य अपने जीवन के सब से महत्त्वपूर्ण कर्त्तव्य (अर्थात् उपासना) को भूल कर कुकर्म, हिंसा, लड़ाई झगड़ा व अत्याचार के मार्ग पर चलने लगा तो उसी समय उस के अपने पाप उसी पर अज़ाब व तबाही का कारण बन कर उसका नाश कर देते हैं। परन्तु उस विनाश से पहले अल्लाह तआला अपने किसी अवतार, नेक मनुष्य को भेजता है जो उन्हें सीधे मार्ग की ओर बुलाता है। परन्तु जब दुनिया वाले उसका इंकार कर देते हैं तथा अपने कुकर्मों में और अत्यधिक बढ़ जाते हैं तब अल्लाह तआला अपना अज़ाब उन पर उतारता है।

अल्लाह तआला का फ़रमान है।

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلًا وَاِذَآ اَرَدْنَآ اَنْ نُّهْلِكَ قَرْيَةً اَمَرْنَا مُتْرَفِيْهَا فَفَسَقُوْا فِيْهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنٰهَا تَدْمِيْرًا (सूर: बनी इस्राईल)

अर्थात् हम किसी पर तब तक अज़ाब नही भेजते जब तक उनकी ओर कोई रसूल न भेज लें। और जब हम किसी बस्ती के विनाश का निश्चय करें तो उस से पहले उस बस्ती के खुशहाल लोगों को सत्य के मार्ग का अनुसरण करने का आदेश देते हैं। जिस पर वो उल्टा नाफ़रमानी (अवज्ञा) के मार्ग का अनुसरण कर लेते हैं। तब उस बस्ती के ऊपर हमारा संकल्प पूर्ण हो जाता है। और हम उसे पूरी तरह नष्ट कर देते

وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ۭ وَاِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ

(अश्शूरा : 22)

अर्थात: और यदि निर्णय की विधि का आदेश मौजूद न होता तो उनके बीच मामला तुरंत निपटा दिया जाता और निस्संदेह अत्याचारियों के लिए पीड़ा जनक अज़ाब (निश्चित) है।

इस आयत की व्याख्या में हज़रत मुस्लेह मौऊद रज़िअल्लाहु अन्हु (दूसरे ख़लीफ़ा) फ़रमाते हैं।

"उन पर विनाश आ जाता परन्तु खुदा तआला का यह अंतिम फैसला क़ुरआन मजीद में मौजूद है कि जब तक हुज्जत पुर्ण न हो उस समय तक किसी कौम का विनाश नहीं किया जाता। इसलिये उनको सुधरने का समय मिल रहा है।"

वर्तमान युग में अल्लाह तआला ने हज़रत मिर्ज़ा गुलाम अहमद अलैहिस्सलाम (1835-1908) को मसीह मौउद व महदी मौऊद جریُ اللہ فی حلل المرسلین (अल्लाह का अवतार समस्त अवतारों का रूप धारण किये हुए) बना कर भेजा। (तज़किरह-पृष्ठ-198)

आपने 23 मार्च 1889 को जमाअत अहमदिया की स्थापना की। लाखों की संख्या में लोग इस में शामिल हुए और शामिल होते चले जा रहे हैं। परन्तु इस के बावजूद वर्तमान समय में मनुष्यों की अत्यधिक संख्या अल्लाह तआला तथा उसके अवतार की शिक्षाओं की ओर ध्यान नहीं दे रही। जमाअत अहमदिया के प्रत्येक सदस्य का परम कर्त्तव्य है की वह विश्व के समस्त मनुष्यों को अल्लाह तआला की ओर बुलाए ओर उन पर हुज्जत पूर्ण करे। हज़रत ख़लीफतुल मसीह अलख़ामिस नसरहुल्लाहो तआला (पांचवे ख़लीफ़ा) फ़रमाते हैं :

"अल्लाह तआला करे की यह संसार अपने स्रष्टा (पैदा करने वाले) की ओर झुक जाए उसे पहचाने। ख़ुदा को पहचानने के कारण ही उस विनाश से बच सकते हैं जो हमारे सामने खड़ा है जिसकी चेतावनी हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी वाणी तथा लेखनी में कई बार दी है।"

(ख़ुतबा जुम्अ: 7 मार्च 2014)

प्रत्येक दाई-ए-इलल्लाह की ज़िम्मेदारी है की वह हज़रत ख़लीफतुल मसीह अलखामिस नसरहुल्लाहो तआला (पांचवे ख़लीफ़ा) की पुस्तक "World crisis and the path way to peace" तथा LEAFLETS प्रत्येक शिक्षित मनुष्य तक पहुंचा दे।

माननीय दाईयान ए इलल्लाह !!

मुसलमानों को तब्लीग़ करना एक महत्त्वपूर्ण कार्य है। उनकी धार्मिक, आध्यात्मिक तथा सामाजिक स्थिति प्रत्येक दिन अत्यंत दुखदाई (बुरी) होती चली जा रही है। इस्लामी देशों की स्थिति देख लीजिए। मुसलमान ही मुसलमान का रक्त बहा रहे हैं। हमारे देश में भी हिंसात्मक घटनाएँ प्रत्येक दिन बढ़ती चली जा रही हैं। मुसलमानों का प्रत्येक सम्प्रदाय दूसरे सम्प्रदाय को काफ़िर कह रहा है। वर्तमान युग में हज़रत मुहम्मद सल्ललाहो अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणी जिस में आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने उम्मत-ए-मुहम्मदिया के 73 सम्प्रदायों (फ़िरकों) में विभाजित होने की सूचना दी थी स्वयं अपनी आँखों से

शेष पृष्ठ 8 पर

ख़ुत्बः जुमअः

हमें अपनी ज़िन्दगियों पर नज़र रखनी चाहिए कि हमें वही काम करना चाहिए जिसकी हमें अल्लाह तआला और उसका रसूल इजाज़त देते हैं।

जब ख़वाब ऐसी हो जो कुरआन या रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के फतवा और सुन्नत के ख़िलाफ हो वह बहरहाल अस्वीकार करने के योग्य मानी जाएगी

जिस तरह बीमार से परहेज़ न हो तो स्वस्थ भी साथ गिरफ्तार हो जाता है उसी तरह अल्लाह तआला की सुन्नत है कि वह आध्यात्मिक बीमारों से नबी की जमाअत को अलग रखे। इसीलिए अल्लाह तआला का आदेश है कि जनाज़ा, शादी, नमाज़ आदि अलग हो।

अपनी सांसारिक इच्छाओं पर अपनी अगली पीढ़ी और धर्म को प्राथमिकता दें नहीं तो नस्लें केवल लड़कियों के ग़ैरों में जाने से बर्बाद नहीं होतीं बल्कि लड़कों के ग़ारों में विवाह करने से भी बर्बाद होता है। प्रत्येक अहमदी को समझना चाहिए कि अहमदी केवल सामाजिक दबाव या रिश्तेदारी के कारण अहमदी न हो बल्कि धर्म को समझ कर अहमदी बनने की कोशिश करे। अगर अहमदी लड़के बाहर शादियां करते रहेंगे तो अहमदी लड़कियां कहां ब्याही जाएँगी। इसलिए लड़कों को भी विचार करने की ज़रूरत है।

अगर अहमदी लड़का और लड़की शादी करना चाहते हैं तो उनके माता-पिता को भी ज़िद नहीं करनी चाहिए। जातियों और अहंकारों के चक्कर में नहीं आना चाहिए।

बावजूद इसके कि लड़की की पसंद भी रिश्ते में शामिल होनी चाहिए और आँ हज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम्म ने इस तरह स्थापित किया है कि लड़की की इच्छा शामिल हो इस्लाम में लेकिन इस्लाम इस बात की पाबंदी भी जरूर करवाता है कि वली की अनुमति के बिना शादी जायज़ नहीं।

इस्लाम ने कहा है कि जब तुम शादी करो तो तस्वीर देख लो और जहां तस्वीर देखनी मुश्किल हो वहाँ आजकल के ज़माने में उस ज़माने में भी तस्वीर देखी जा सकती थी अब भी देखी जा सकती है।

आदरणीया सकीना नाहीद साहिबा पुत्री आदरणीय मुहम्मद दीन साहब की वफात, आदरणीय शौकत ग़नी साहिब पुत्र काज़ी अब्दुल ग़नी साहिब शहीद जो कि पाक फौज के सपाही के रूप में दहशत गर्दों के विरुद्ध ज़र्बे अज़ब में भाग ले रहे थे, मरहूमों का ज़िक्रे ख़ैर और नमाज़ जनाज़ा ग़ायब।

ख़ुत्बः जुमअः सय्यदना अमीरुल मो'मिनीन हज़रत मिर्ज़ा मसरूर अहमद ख़लीफ़तुल मसीह पंचम अय्यदहुल्लाहो तआला बिनस्त्रिहिल अज़ीज़,

दिनांक 8 अप्रैल मार्च 2016 ई. स्थान - मस्जिद बैतुलफ़ुतूह, मोर्डन, यू.के.

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيكَ لَهٗ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ۔ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۔ اَلْحَمْدُلِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۔ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۔اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ۔صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۔ غَيْرِالْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَاالضَّآلِّيْنَ ۔

एक बार हज़रत मुस्लेह मौऊद रज़ि अल्लाह तआला अन्हो यह विषय उल्लेख फरमा रहे थे कि हमें अपनी समीक्षा लेते रहने चाहिए कि हमारे काम, हमारे कार्य, हमारे निर्णय कुरआन और हदीस के अनुसार हैं या नहीं। इस तरह अगर किसी मामले की कुरआन और हदीस से व्याख्या न मिले जिस पर इंसान विचार करता है तो कैसे इन कार्यों को अंजाम दिया जाए। इसके लिए यह है कि पुराने उलमा जो गुज़रे हैं उनके कथन और उनके फैसलों को धारण करना चाहिए। इस बारे में फरमाते हैं कि एक बार हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि हमें अपने मामलों के निर्णय कैसे करना चाहिए? कहां से मार्गदर्शन लेने चाहिए? तो आप अलैहिस्सलाम ने यही फरमाया कि हमारा तरीका है कि पहले कुरआन करीम के अनुसार फैसला किया जाए और जब कुरआन में कोई बात न मिले तो यह हदीस में तलाश किया जाए और जब हदीस से भी कोई बात न मिले तो उम्मत के इस्तदलाल(दलीलों) के अनुसार फैसला किया जाए या उम्मत में जो फैसले हुए हैं और जो दलीलें दी गई हैं उसके अनुसार निर्णय किए जाएं।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने यह भी फरमाया है कि सुन्नत हदीस से ऊपर है इसलिए जो बातें सुन्नत से प्रमाणित हैं बहरहाल उन पर तो अनुकरण होना ही है इस के बाद फिर हदीस का नंबर आता है। सुन्नत वही है जो काम हमें आँ हज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम्म ने करके दिखा दिया और आगे सहाबा ने उस से सीखा फिर सहाबा से ताबेईन ने सीखा फिर तबअ ताबेईन ने सीखा और फिर यह उम्मत में जारी हुआ।

बहरहाल हज़रत मुस्लेह मौऊद इस विषय का वर्णन कह रहे हैं कि हमें अपनी ज़िन्दगियों पर नज़र रखनी चाहिए कि हम वही काम करना चाहिए जिसकी हमें अल्लाह तआला और उसका रसूल इजाज़त देते हैं।

कुछ लोगों को कई बार नेकी सर पर सवार हो जाती है इस हद तक आगे बढ़ जाते हैं कि हद से बढ़ कर काम लेने लग जाते हैं अपनी जान मुसीबत में डाल लेते हैं या अपने पर अत्याचार करते हैं या कुछ ऐसे लोग हैं और बल्कि बहुमत ऐसे लोगों की है जो अल्लाह तआला और उसके रसूल की आज्ञाओं को सरसरी लेते हैं और उन पर अमल करने की तरफ जिस तरह ध्यान देना चाहिए वे ध्यान नहीं करते। तो यह दोनों प्रकार के लोग हैं, जो हद से बढ़ने और कम होने से काम लेते हैं और अल्लाह तआला और उसके रसूल के आदेश से बाहर निकलते हैं।

नेकी में बढ़ने वालों के भी कई उदाहरण होते हैं। एक महिला का उदाहरण आपने दिया जो ना जायज़ रूप से नेकी के नाम पर एक काम करना चाहती थी। जो वास्तव में नेकी नहीं है क्योंकि अल्लाह तआला और उसके रसूल ने इसकी अनुमति नहीं दी। इस घटना में जो मैं बयान करूँगा उन लोगों के लिए भी सबक है जो कई बार अपनी ख़वाबों को बहुत महत्त्व देते हैं हालांकि उनका वह स्थान नहीं होता कि यह कहा जाए कि उनका हर ख़्वाब सच्चा है और इसका कोई मतलब है।

हज़रत मुस्लेह मौऊद फरमाते हैं कि आज एक महिला हमारे यहां आई। वह कादियान की पुरानी औरत है इसके दिमाग़ में कुछ ख़राबी है। कहने लगी कि मैंने ख़वाब देखा है कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम आए हैं और आपने फ़रमाया कि तुम छह महीने लगातार रोज़े रखो तो ख़लीफतुल मसीह को सेहत हो जाऐगी। (हज़रत मुस्लेह मौऊद की बीमारी के शुरू दिनों की बात है।) मगर वह औरत कहने लगी कि मैंने जिन उलमा से पूछा उन्होंने यही कहा है कि छह महीने के निरंतर रोज़े रखना नाजायज़ है फिर कहने लगी कि मियां बशीर अहमद ने कहा है कि अगर जुम्मेरात और सोमवार के रोज़े रख लिया कर लेकिन इसके बाद कहने लगी कि मैंने फिर ख़वाब में देखा कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम आए हैं और

उन्होंने मुझ से फरमाया कि मैंने तो कहा था कि छह महीने के निरन्तर रोज़े रखो तो निरन्तर रोज़े क्यों नहीं रखती। तो हज़रत मुस्लेह मौऊद फरमाते हैं मैंने कहा कि तेरी ख़वाब हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के इलहामों से बढ़कर नहीं हो सकती और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम भी अपने इलहामों के बारे में फरमाते हैं कि अगर मेरा कोई इल्हाम कुरआन और सुन्नत के ख़िलाफ हो तो मैं उसे बलग़म की तरह फेंक दूं। (गले से साफ करके निकाल के फेंक दूं।) जब हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम अपनी इल्हाम को कुरआन और सुन्नत के इतना अनुसार करते हैं तो हमें भी अपनी ख़वाब आपके आदेश के अनुसार करनी पड़ेगी। जब नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम से प्रमाणित है कि आप ने उम्मत के लोगों को लगातार और लंबे समय के रोज़ों से मना किया है तो अगर तुम्हें कोई ख़वाब इस हुकुम के ख़िलाफ आती है या आई है तो वह शैतानी समझी जाएगी। खुदाई नहीं समझी जाएगी। (बेशक तुम यही कहो कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने कहा है।) अगर खुदाई ख़वाब होता तो वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम्म की पुष्टि करती। आप का इनकार कभी नहीं करती। अत: जब ख़वाब ऐसी हो जो कुरआन या रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के फतवा और सुन्नत के ख़िलाफ हो वह बहरहाल अस्वीकार करने के योग्य मानी जाएगी क्योंकि न तो कुरआन के ख़िलाफ कोई ख़्वाब सच हो सकता है और न सुन्नत के ख़िलाफ कोई ख़वाब सच हो सकता है और न सही हदीस के ख़िलाफ कोई ख़वाब सच हो सकता है।"

(अल्फज़ल 25 नवम्बर जिल्द 47 नम्बर 272)

इसलिए किसी बात के बारे में ख़्वाबों को आधार बनाना चाहे वह नेकी की बात ही हो और अपने आप को ऐसे संकट में डालना जिस की ताकत न हो यह बात ग़लत है। न केवल ग़लत है बल्कि सालेह काम भी नहीं है और कई बार गुनाह बन जाता है। हां जिन्हें अल्लाह तआला ने नबी के रूप में खड़ा करना हो उनके साथ अल्लाह तआला का व्यवहार बिल्कुल अलग होता है। वह साधारण लोगों में से नहीं होते। उनका किसी साधारण व्यक्ति से मुकाबला नहीं किया जा सकता।

इस घटना से शायद किसी को यह भी ख़्याल हो कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने छह महीने के रोज़े रखे थे तो इस बारे में एक तो स्पष्ट हो कि आप को ख़ुदा तआला ने नबी के स्थान पर खड़ा करना था। दूसरे ख़ुद हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने इस बारे में क्या फरमाया है और इस बारे में हमें क्या नसीहत फरमाई है। वह प्रस्तुत करता हूँ। आप फरमाते हैं कि "एक बार ऐसा संयोग हुआ कि एक बुजुर्ग पवित्र सूरत मुझे ख़वाब में दिखाई दिया और उसने उल्लेख किया कि किसी कदर रोज़े आसमानी नूरूं की पेशवाई के लिए रखना नबुव्वत के ख़ानदान की सुन्नत है। इस बात की ओर इशारा किया कि मैं इस सुन्नत अहले बैअत रिसालत को करूं। अत: मैंने कुछ समय तक रोज़ों को निरन्तर रखना अनिवार्य समझा और इस प्रकार के रोज़ों के आश्चर्यों में से जो मेरे अनुभव में आए वह सूक्ष्म मुकाशिफ़ात हैं जो उस ज़माने में मेरे पर खुले।" अल्लाह तआला ने इसके बाद फिर एक सिलसिला कशफों का इलहामों का जारी किया। फिर आप ने इस का कुछ विवरण वर्णन है कि क्या हुआ। फिर आप फरमाते हैं कि "अत: इस अवधि तक रोज़े रखने से जो मेरे पर आश्चर्य प्रकट हुए वे विभिन्न प्रकार के मुकाशिफ़ात थे लेकिन यह याद रखने वाली बात है लेकिन हर एक को सलाह नहीं देता कि वह ऐसा करे और न मैंने अपनी इच्छा से ऐसा किया। याद रहे कि मैंने साफ कशफ़ के माध्यम से ख़ुदा तआला से सूचना पाकर शारीरिक सख्ती आठ या नौ महीने तक किया और भूख और प्यास का मज़ा चखा और फिर इस मार्ग को सदा करना छोड़ दिया।" अत: आप को यह ख़ुदा तआला ने स्थान देना था। इस कारण से अनुमति हुई। फिर इस के बाद आप ने फिर कभी अमल नहीं किया। फरमाया कभी-कभी मैं रोज़े रख लेता था तथा दूसरों को भी, अपने मानने वालों को भी इस तरह करने से आप ने मना किया।

फिर हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम पर एक आरोप लगाया जाता है कि आप ने आकर एक जमाअत बना कर एक फसाद पैदा कर दिया और मुसलमानों में आपके कथन अनुसार आपने एक तहतरवां संप्रदाय बना दिया। ज़रूरत इस बात की थी कि उपद्रव कम किए जाते यह उलटा एक अधिक संप्रदाय बनाकर अधिक फूट डाल दी। तो यह बात याद रखना चाहिए कि नबियों की बेअसत के समय ये बातें कही जाती हैं आँ हज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम्म पर भी यही आरोप मक्का वाले लगाते थे कि भाई-भाई को अलग कर दिया। हमें आपस में फाड़ दिया। विभाजन पैदा कर दिए। दुश्मनियाँ पैदा कर दीं। हालांकि फसाद की हालत तो उनमें पहले से थी और यही हाल आजकल के मुसलमानों की है और अब भी है कि दंगों की हालत इन में मौजूद है। नबी तो अल्लाह तआला इस लिए भेजता है कि दंगों की स्थिति को दूर करे और एक हाथ पर जमा होकर ये लोग एक बननें, एकता स्थापित करने की कोशिश करें। इसलिए जो ईमान लाते हैं वे शांति में आते हैं एक एकता की हालत में आ जाते हैं। दंगों से दूर हट जाते हैं और दूसरे विरोधी जो हैं वह फसादों में पीड़ित होते हैं। अब हमारे ख़िलाफ चाहे जितना मर्ज़ी विरोधी इकट्ठे हो विरोध करते रहें, लेकिन आपस में फिर भी ये लोग फटे हुए हैं। दिल उनके फटे हुए हैं। एक नहीं हैं। आपस में फिर सर भूड़ना उनका होता रहता है और जब तक इमाम को यह नहीं मानेंगे इसी तरह होता रहेगा। चाहे हमें मुसलमान कहें या ग़ैर मुस्लिम कहें या जो भी यह नाम लें। लेकिन हम अल्लाह तआला की दी हुई परिभाषा के अनुसार और आँ हज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम्म की दी हुई परिभाषा के अनुसार भी वास्तविक मुसलमान हैं और हमें इस बात के कहने से कोई रोक नहीं सकता।

हज़रत मुस्लेह मौऊद इन्हीं फसादों का नक्शा खींचते हुए उल्लेख करते हैं कि "एक दोस्त ने सुनाया कि एक बार एक अहले हदीस हन्फियों की मस्जिद में उनके साथ नमाज़ जमाअत के साथ पढ़ रहा था। अत्तहयात में उस ने उंगली उठायी। तशहुद्द के समय उसका उंगली उठाना था कि सभी नमाज़ी नमाज़ें तोड़ कर उस पर टूट पड़े और हरामी-हरामी कहना शुरू कर दिया।" अर्थात हंफियों का एक अकीदा है कि उंगली तशहुद्द में नहीं उठाते। उन्होंने यह नहीं देखा कि नमाज़ पढ़ रहे हैं नमाज़ तोड़ना कितना जुर्म है। उसकी उंगली को ही देख रहे थे। नमाज़ तोड़ कर उसे गालियां देनी शुरू कर दीं और उसे मारना शुरू कर दिया। तो हज़रत मुस्लेह मौऊद फ़रमाते हैं कि "यह फसाद हज़रत मसीह मौऊद के आने से पहले ही थे मसीह मौऊद ने तो आकर सुधार किया। चोट लगाने वाला दंगाई होता है।"(अब पूछ रहे हैं जो किसी को मारता है वह फसादी होता है कि चोट लगाने वाला दंगाई होता है) या डॉक्टर? जो नश्तर लेकर इलाज को तैयार होता है।"(दो तरह के लोग होते हैं जो घाव लगाते हैं। एक वह जो किसी को मार कर घाव लगाए। चोट लगाकर घाव लगाता है और एक डाक्टर है जो इलाज के लिए घाव लगाता है।) "एक व्यक्ति को बख़ार है। मुंह कड़वा हो डॉक्टर कुनीन दे। कोई नहीं कह सकता कि ज़ालिम ने मुंह कड़वा कर दिया। अगर डॉक्टर बलग़म को न निकालता तो शरीर की ख़राबी बढ़ जाती। बलग़म निकाल देने पर आपत्ति कैसी। हड्डी टूटी रहती अगर घाव को नशतर से साफ नहीं किया जाता। उस पर जलन वाली दवाई न छिड़की जाती तो रोगी की हालत कैसे बेहतर हो सकती उसकी तो जान खतरे में पड़ जाती। इस मामले में कैसे कोई डॉक्टर आरोपी बन सकता है।"(इसलिए डॉक्टर अगर किसी को कोई दर्द देता है तो इलाज के लिए है।) आप फरमाते हैं कि "एक व्यक्ति ने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के सामने इसी फूट के बारे में सवाल किया कि आप ने आ कर और अधिक फूट डाल दी और पहले से ही इतना फसाद फैला हुआ है तो आपने फ़रमाया कि अच्छा बताओ कि अपना अच्छा दूध संभालने के लिए दही के साथ मिलाकर रखते हैं या अलग।?" (दूध को अगर संभालना हो तो दही से अलग रखते हैं क्योंकि यह कहीं छींटे आदि न पड़ जाए क्योंकि दूध इससे ख़राब हो जाता है।) "स्पष्ट है कि दही के साथ अच्छा दूध एक मिनट भी अच्छा नहीं रह सकता। इसलिए नबी की जमाअत का बाकी जमाअत से अलग किया जाना ज़रूरी था।" (यह जो फिर्का बनाया या अलग जमाअत का गठन किया यह एक नबी की जमाअत है और इसका इस जमाअत से अलग किया जाना चाहिए था उन से अलग किया जाना चाहिए था जो बिगड़े हुए हैं) "जिस तरह बीमार से परहेज़ न हो तो स्वस्थ भी साथ गिरफ्तार हो जाता है उसी तरह अल्लाह तआला की सुन्नत है कि वह आध्यात्मिक बीमारों से नबी की जमाअत को अलग रखे। इसीलिए अल्लाह तआला का आदेश है कि जनाज़ा, शादी,नमाज़ आदि अलग हो।" आप फरमाते हैं "क्योंकि अक्सर महिलाएं ही मतभेद करती हैं। महिलाओं को नसीहत करता हूँ कि जिस तरह मरीज़ के साथ स्वस्थ जीवन खतरे में पड़ जाता है। याद रखो यही हालत तुम्हारी ग़ैर अहमदियों से संबंध में होगी। अक्सर महिलाएं कहती हैं कि बहन या भाई का रिश्ता हुआ छोड़ा कैसे जाए।" हज़रत मुस्लेह मौऊद फरमाते हैं कि "मैं सच-सच कहता हूं कि अगर भूकंप आ जाए या आग लग जाए तो एक बहन भाई की परवाह न करके बल्कि उसे पीछे धकेल कर ख़ुद इस गिरती हुई छत से जल्द निकल भागने की कोशिश करेगा तो धर्म के मामले में क्यों यह माना जाता है।? दरअसल यह आराम की भावनाएं हैं।" (अगर इसे समझा जाए और

एक परेशानी समझी जाए तो ऐसे विचार न आएं क्यों अलग किया जाए हम में फाड़ क्यों है। आप फरमाते हैं कि यह मुसीबत के समय नहीं होता। क्योंकि तुम समझते नहीं उसे अभी धर्म की समझ नहीं हुई। इसलिए यह आराम की भावना हावी हो रहे है। मुसीबत की भावनाएं हों तो इस तरह की प्रतिक्रिया न हो।) "अगर ख़ुदा रात को तुम में से किसी के पास मौत का फरिशता भेजे जो कहे कि आदेश तो तेरे भाई या अन्य प्रिय की जान निकालने का है मगर ख़ैर मैं बदले में तेरी जान लेता हूँ तो कोई भी (इस को स्वीकार नहीं करेगा) औरत स्वीकार नहीं करेगी। अल्लाह तआला फरमाता है कि

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَ اَهْلِيْكُمْ نَارًا

(अत्तहरीम: 7)

अर्थात बचाओ अपनी और अपने परिवार वालों की जानों को आग से। अब हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का पालन करने वाली अगर दूसरे ग़ैर अहमदी से ब्याही गई तो पति के कारण निश्चित रूप से वह अहमदियत से दूर हो जाएगी या कुड़ कुड़ कर मर जाएगी।(क्योंकि यही होता है कि घरों में जा के फिर से सख़्तियां होती हैं।) अपने रिश्तेदारों से धार्मिक पूर्वाग्रह के कारण अलग किया जाएगा (और आजकल भी इसी तरह होता है।) तो यह एक आग है क्या वह ख़ुद अपने हाथ से कोई महिला अपनी बेटी को आग में डालती है? लेकिन इस तरह के एक थोड़े से संबंध के लिए उसे आग में डाल दिया जाता है तो इससे बचना चाहिए।"

(स्त्रियों से सम्बोधन अन्वारुल उलूम भाग 11 पृष्ठ 518-519)

तो अगर हम अहमदी जो गैरों में रिश्ता नहीं करते जो बड़ा आरोप लगाया जाता है तो यह विभाजन नहीं बल्कि अपने आप को बचाने की कोशिश है। धर्म को दुनिया में प्रथम करने की कोशिश है। लेकिन यह विचार उसे ही आ सकता है जो धर्म को दुनिया पर प्रथम रखने की रूह को समझे और इस में लड़के भी शामिल हैं। वे अहमदी लड़के जो अहमदी लड़कियों को छोड़ कर ग़ैरों से शादी करते हैं। इसलिए लोगों को भी समझना चाहिए कि अगर अपने आप को वह अहमदी कहलवाते हैं और वास्तविक अहमदी समझते हैं तो केवल व्यक्तिगत इच्छाओं को न देखें और जब शादी का समय आए तो अहमदी लड़कियों से विवाह करें। अपनी सांसारिक इच्छाओं पर अपनी अगली पीढ़ी और धर्म को प्राथमिकता दें नहीं तो नस्लें केवल लड़कियों के ग़ैरों में जाने से बर्बाद नहीं होतीं बल्कि लड़कों के ग़ैरों में विवाह करने से भी बर्बाद होती हैं। प्रत्येक अहमदी को समझना चाहिए कि अहमदी केवल सामाजिक दबाव या रिश्तेदारी के कारण अहमदी न हो बल्कि धर्म को समझ कर अहमदी बनने की कोशिश करें। अगर अहमदी लड़के बाहर शादियां करते रहेंगे तो अहमदी लड़कियां कहां ब्याही जाएँगी। इसलिए लड़कों को भी विचार करने की ज़रूरत है अगर अब भी इस बारे में ध्यान नहीं किया गया और अब तो इस ओर बहुत अधिक प्रवृत्ति होने लग गई है तो भविष्य में अधिक प्रवृत्ति बढ़ती चली जाएगी और फिर नस्ल में अहमदियत नहीं रहेगी सिवाय इसके कि किसी पर विशेष अल्लाह तआला का फज़ल हो।

मैं तो प्राय बाहर रिश्ते करने वाले लड़कों को भी यह कहता हूँ कि तुम अहमदी लोग अगर लड़कियों के भी हक अदा करो, अगर किसी कारण से मजबूरी से ख़ुद रिश्ता बाहर किया है तो एक अहमदी किसी युवा को अहमदियत में शामिल करो और उसे निष्ठावान अहमदी बनाओ और फिर उसकी अहमदी लड़की से रिश्ता करवाओ इस से तुम्हें तब्लीग़ की तरफ भी ध्यान पैदा होगा और फिर ख़ुद यह हो सकता है कि इस भावना के कारण ख़ुद भी अहमदी लड़कियों से शादी करने के लिए ध्यान पैदा हो।

बहरहाल लड़कियों के विवाह के मामले हैं और यह आज नहीं हमेशा से हैं। इस बारे में हज़रत मुस्लेह मौऊद रज़ियल्लाहो अन्हो एक जगह बयान करते हुए फरमाते हैं कि "एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर आज कुछ बयान करना चाहता हूँ। वह अहमदियों और ग़ैर अहमदियों में शादी का सवाल है और उसी के संदर्भ में कफू का सवाल भी पैदा हो जाता है। हमारी जमाअत के लोगों को विवाह के बारे में जो कठिनाई पेश आती हैं मुझे पहले भी उनका ज्ञान था लेकिन नौ महीने की अवधि में तो बहुत ही कठिनाइयों और बाधाएं मालूम हुई हैं। (यह नौ महीने का समय आप ने उल्लेख फरमा रहे हैं यह तकरीर आपने 1914 में अपनी ख़िलाफ़त के बाद लगभग नौ महीने बाद सालाना जलसा हुआ था उसमें हुई थी।) और लोगों के ख़तों से पता चलता है कि इस मामले में जमाअत को अत्यधिक तकलीफ है। आज भी यही हाल है यह तकलीफ जो है जारी है लेकिन इन बाधाओं का हम ने समाधान भी करना है। आप फरमाते हैं कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने इस के बारे में प्रस्ताव किया था कि अहमदी लड़कियों और लड़कों के नाम एक रजिस्टर में लिखे जाएं और आप ने यह रजिस्टर एक व्यक्ति की तहरीक पर खुलवाया था। उसने निवेदन किया था कि हुज़ूर विवाह में सख्त दिक्कत होती है आप कहते हैं कि दूसरों से संबंध मत बनाओ। अपनी जमाअत विभिन्न स्थानों पर है। अब क्या करें? एक ऐसा रजिस्टर जिस में सब अविवाहित लड़कों और लड़कियों के नाम हों (अर्थात ऐसे लड़कों और लड़कियों के नाम हैं जिन के रिशते नहीं हुए।) ताकि रिश्तों में आसानी हो। हुज़ूर से जब कोई निवेदन करे तो उस रजिस्टर से पता करके उसका रिश्ता करवा दिया क्योंकि कोई ऐसा अहमदी नहीं है जो आपकी बात न मानता हो। (यह हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को उस व्यक्ति ने कहा।) कुछ लोग अपना कोई उद्देश्य बीच में रखकर कोई बात पेश करते हैं और ऐसे लोग अंत में ज़रूर परीक्षा में पड़ते हैं। (हज़रत मुस्लेह मौऊद फरमाते हैं कि कई बार अपने मस्ले तो लोग पेश करते जब कोई बात निवेदन करते हैं लेकिन कोई ग़रज़ अपनी निजी भी होती है और फिर इसलिए फिर परीक्षा में पड़ जाते हैं तो फरमाते हैं कि) इस व्यक्ति की भी इच्छा मालूम होती है सही नहीं थी। उन्हीं दिनों एक मित्र को जो बहुत ईमानदार और नेक थे, शादी की आवश्यकता हुई। इसी व्यक्ति जिस ने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को यह सुझाव दिया था कि रजिस्टर बनाया जाए उसकी एक लड़की थी। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने इस दोस्त को उस व्यक्ति का नाम बताया कि उसके यहां तहरीक करो। (अर्थात जिस ने प्रस्ताव रखा था उसकी लड़की थी। जब एक रिश्ता आया तो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने इसी घर रिश्ता भिजवा दिया) लेकिन उसने बहुत तर्कहीन बहाना करके रिश्ते से इनकार कर दिया और लड़की कहीं ग़ैर अहमदियों में ब्याह दी। जब हज़रत साहिब को यह बात मालूम हुई तो आपने फरमाया कि आज से शादियों के मामले में दखल नहीं देंगे और इस तरह यह प्रस्ताव रह गया लेकिन अगर उस समय यह बात चल जाती तो आज अहमदियों को वह दु:ख नहीं होता जो अब हो रहा है।"

(बरकाते ख़िलाफत अनवारुल अलूम भाग 2 पृष्ठ 209)

कई बार नबी के सामने एक इनकार जो है फिर जमाअत के लिए स्थायी परीक्षा बन जाती है। गैरों में ब्याह के बाद कुछ समय बाद ही अक्सर अपनी ग़लती का एहसास हो जाता है और बड़ी समस्या जो उत्पन्न हो रही होती हैं उनका भी पता लग जाता है। अभी भी कई लोग और लड़कियां ख़ुद लिखती हैं या उनके माता-पिता की लड़कियों कि यह फैसला किया तो हम ख़मियाज़ा भुगत रहे हैं। धर्म से भी दूरी हो गई है। और कुछ सुसराल वालों ने या ख़ानदानों ने तो माता-पिता और रिश्तेदारों से मिलने जुलने के लिए मना कर दिया है लेकिन वे लोग भी हैं जो अपने अहंकार में आकर कई बार अच्छे भले अहमदी रिश्तों को ठुकरा देते हैं जबकि लड़कियां भी राज़ी होती है लड़के भी राज़ी होते हैं बल्कि कई जगह मैंने भी कहा कि रिश्ता कर लो लेकिन अहंकार की वजह से इनकार किया। बहरहाल अगर ऐसे लोग मौजूद थे जिन्होंने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम से इनकार किया तो अब मेरी बात से इनकार करना तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। बहरहाल लेकिन फिर ऐसों के अंजाम भी बड़े भयानक हो जाते हैं। जर्मनी में एक ऐसी ही घटना हुई थी कि माँ बाप ने बेटी की इच्छा के अनुसार शादी नहीं की या आग्रह पर बेटी को ही मार दिया और अब जेल में पड़े हुए हैं। तो अगर अहमदी लड़का और लड़की शादी करना चाहते हैं तो उनके माता-पिता को भी ज़िद नहीं करनी चाहिए। जातियों और अहंकारों के चक्कर में नहीं आना चाहिए।

ब्याह शादी के बारे में एक यह मसला लड़कियों पर भी स्पष्ट होना चाहिए कि बावजूद इसके कि लड़की की पसंद भी रिश्ते में शामिल होनी चाहिए और आँ हज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम्म ने इस तरह स्थापित किया है कि लड़की की इच्छा शामिल हो लेकिन इस्लाम में इस बात की पाबंदी भी ज़रूर करवाता है कि वली की अनुमति के बिना शादी जायज़ नहीं।

हज़रत मुस्लेह मौऊद फरमाते हैं कि "अल्लाह तआला ने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को भेजा है और वास्तव में आप इसी की तरफ से हैं तो हमारी शरीयत यही कहती है (अर्थात इस्लाम की शरीयत यही कहती है) कि वली की अनुमति के बिना सिवाय उन अपवादों के जिन के अपवाद ख़ुद शरीयत ने रखे हैं कोई शादी जायज़ नहीं और अगर होगी तो वह अवैध होगी और आधाला होगा और हमारा कर्तव्य है कि हम ऐसे लोगों को समझाएं और न समझें तो उनसे सम्बन्ध विच्छेद कर लें।

इस प्रकार की घटनाएं कई बार हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के ज़माना में भी हुई हैं अत: एक बार एक लड़की जो जवान थी एक व्यक्ति से शादी की

इच्छा की मगर उसके पिता ने न माना वे दोनों (कादियान के पास जगह थी) नंगल चले गए और वहां जाकर किसी मुल्ला से निकाह पढ़वा लिया और कहना शुरू कर दिया कि उनकी शादी हो गई है। फिर वह कादियान आ गए। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को मालूम हुआ तो आप ने उन दोनों को कादियान से निकाल दिया और कहा यह शरीयत के ख़िलाफ काम है कि केवल लड़की की रज़ामंदी देखकर वली(अभिभावक) की अनुमति के बिना निकाह कर लिया जाए। वहां भी लड़की राज़ी थी और कहती थी कि मैं इस आदमी से शादी करूंगी लेकिन चूंकि वली की अनुमति के बिना उन्होंने निकाह पढ़वाया इसलिए हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने उन्हें कादियान से निकाल दिया। इसी तरह (वहाँ उस समय कोई निकाह हज़रत मुस्लेह मौऊद के सामने हुआ था आपने फरमाया कि) यह शादी भी नाजायज़ (अवैध) है और यही बात है जो मैं इस माई से कही है (लड़के की माँ से कही है। एक औरत आई थी कि क्योंकि लड़की राज़ी थी इसलिए मेरे बेटे ने निकाह कर लिया तो क्या अज़ाब आ गया।) आपने फरमाया मैंने उससे कहा तुम्हारे बेटे को रिश्ता मिल रहा है इसलिए तुम कहती हो जब लड़की राज़ी है तो किसी वली की सहमति की ज़रूरत क्या है। लेकिन तुम्हारी भी लड़कियां हैं अगर वे ब्याही जा चुकी हैं अब तो इन की भी लड़कियां होंगी। क्या तुम पसंद करती हो कि उनमें से कोई लड़की इस तरह निकल कर कोई ग़ैर मर्द के साथ चली जाए।

(उद्धरित ख़ुत्बाते महमूद भाग 18 पृष्ठ 175-176)

तो जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है न ही माँ बाप को इतनी सख्ती बेवजह करनी चाहिए कि बिना किसी जायज़ कारण के झूठे सम्मान के लिए रिश्ता न करें। और हत्या तक क्रूर कार्य करने वाले बन जाएं और न ही लड़कियों को इस्लाम आज्ञा देता है कि ख़ुद ही घर से जाकर अदालतों में या किसी मौलवी के पास शादी कर लें या निकाह पढ़वा लें। अगर कुछ मजबूरी की स्थिति हैं तो लड़कियां भी समय के ख़लीफा के पास लिख सकती हैं। जो परिस्थितियों के अनुसार फिर जो भी उचित निर्णय होगा वह करेगा। तो अगर दीन को दुनिया में प्रथम करने के सिद्धांत को सामने रखेंगे और लड़के भी सामने रखेंगे तो ख़ुदा तआला फिर फज़ल करेगा।

एक ख़ुत्बा में हज़रत मुस्लेह मौऊद यह विषय उल्लेख कर रहे थे। कि अल्लाह तआला के ज़िक्र के लिए और ख़ुदा तआला से संबंध बनाने के लिए उस से मुहब्बत के लिए आवश्यक है कि अल्लाह तआला की विशेषताओं को सामने लाकर विचार किया जाए और उनकी विशेषताओं के माध्यम से व्यक्तिगत संबंध बढ़ाया जाए तो। अल्लाह तआला के प्यार का सही एहसास तभी प्राप्त होता है और यह सामान्य कानून कुदरत है कि सांसारिक बाहरी संबंध और प्यार बढ़ाने के लिए भी यह ज़रूरी है कि या तो जिस से मुहब्बत की जाती है उसकी निकटता हो या कम से कम कोई इस का नक्श उसकी तस्वीर कोई सामने हो ताकि पसंद और संबंध व्यक्त हो। इस बात का वर्णन करते हुए आप फरमाते हैं कि "प्यार के लिए आवश्यक है कि या तो किसी का अस्तित्व सामने हो और या उसकी तस्वीर सामने हो(यह कोई नई बात नहीं आज के ज़माने में रिश्ते वाले कहते हैं जी तस्वीरें भेजें।) फरमाया कि इस्लाम ने कहा है कि जब तुम शादी करो तो तस्वीर देख लो और जहां शक्ल देखनी मुश्किल हो वहाँ तस्वीर (आजकल के ज़माने में, उस ज़माने में भी तस्वीर देखी जा सकती थी अब भी) "देखी जा सकती है। मुस्लेह मौऊद फरमाते हैं कि जैसे मेरी जब शादी हुई मेरी उम्र छोटी थी। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने डॉ रशीदुद्दीन साहिब को लिखा कि लड़की की फोटो भेज दें। उन्होंने फोटो भेज दी और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने तस्वीर मुझे दे दी। मैंने जब कहा कि मुझे यह लड़की पसंद है तो आप ने मेरी शादी वहाँ की। इसलिए बिना देखने के प्यार हो तो कैसे यह तो ऐसी चीज़ है कि ख़ुदा तआला तुम्हारे सामने आए। (अब ख़ुदा तआला के प्रेम का उल्लेख शुरू हो गया कि इस की मुहब्बत प्यार कैसे हो ख़ुदा तआला तुम्हारे सामने आए) और तुम आंखों पर हाथ रख लो और फिर कहो कि ख़ुदा तआला की मुहब्बत हो जाए (बिना उसे देखे) वह प्यार कैसे हो? हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का एक शेर है कि

दीदार गर नहीं है तो गुफ़्तार ही सही
हुस्न व जमाल यार के आसार ही सही

अर्थात कुछ तो हो। अगर प्रिय ख़ुद सामने नहीं आता तो उसकी आवाज़ तो सुनाई दे उसके हुस्न के कोई निशान तो नज़र आए। यह तस्वीर है ख़ुदा तआला की है। (ख़ुदा तआला की तस्वीर क्या है।? अल्लाह तआला की रब्ब है उसकी विशेषताएं हैं। रहमान है, रहीम है, मालिक यौमुद्दीन है, सत्तार है, कुद्दूस है, मोमिन है, मुहैमिन है, सलाम है, जब्बार है और कहार है और अन्य इलाही विशेषताएं। यह नक्शें हैं जो मन में खींचे जाते हैं। जब लगातार इन विशेषताओं को हम अपने मन में लाते हैं और उनके अर्थ को अनुवाद कर के मन में बिठा लेते हैं तो कोई विशेषण ख़ुदा तआला का कान बन जाता है कोई विशेषण आंख बन जाता है कोई विशेषण हाथ बन जाता है और कोई विशेषण धड़ बन जाता है और ये सब मिलकर एक पूरी तस्वीर ख़ुदा तआला की बन जाती है।

(उद्धरित अल्फज़ल 18 जूलाई 1951ई पृष्ठ 5 नम्बर 166)

इसलिए अल्लाह तआला से मुहब्बत के लिए इन विशेषताओं की कल्पना और स्थायी अपने सामने रखना वास्तविक अल्लाह तआला की मुहब्बत को प्राप्त करने वाला बनाता है और तभी मनुष्य फिर अल्लाह तआला की नज़दीकी भी प्राप्त करने की कोशिश करता है।

एक असली मोमिन को धर्म के लिए सम्मान और जोश दिखाना चाहिए। इस बात का वर्णन करते हुए एक जगह हज़रत मुस्लेह मौऊद ने फरमाया कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की ज़बान से मैं कई बार सुना है और सैकड़ों सहाबा अब हम में ऐसे जीवित हैं जिन्होंने सुना होगा कि आप फरमाया करते थे कि कुछ तबीयतें ऐसी होती हैं कि वह अपनी तबियत की तेज़ी के कारण बावजूद अपनी नेक नीयत और नेक इरादों के कोई सही तरीका धारण नहीं कर सकतीं। आप अलैहिस्सलाम फरमाया करते थे कि एक व्यक्ति था उस ने एक दोस्त से कहा कि मेरी लड़की के लिए कोई रिश्ता तलाश करो। कुछ दिनों के बाद उनका दोस्त आया और कहा कि मैं उचित रिश्ता देख लिया है। उसने पूछा कि लड़के की क्या प्रशंसा है। इसका वर्णन करो। वह कहने लगा लड़का बड़ा ही शरीफ और भला मानस है। उसने कहा कोई और हालात उसके बयान करो। उसने जवाब दिया बस जी और हालात क्या हैं बहुत भला मानस है तो उसने कहा कोई और बात बताओ (केवल भला मानस तो कोई बात नहीं) उस ने कहा कि क्या बताऊँ कह जो दिया कि वह बहुत अधिक भला मानस है। इस पर लड़की वाले ने कहा कि इससे रिश्ता नहीं कर सकता है,जिस की प्रशंसा सिवाय भला मानस होने के और है ही नहीं।(न कोई काम, न कोई चीज़, केवल भला मानस है।) कल को अगर कोई मेरी लड़की को ही उठा ले जाए तो वह अपने भला मानस में चुप कर के बैठा रहेगा। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनमें केवल भले मानस होने के गुण होते हैं। फरमाया कि सम्मान और धर्म का जोश नहीं होता। (धर्म के मामले में भी ऐसे होते हैं। बड़े शरीफ हैं, बड़ा भला मानस हैं, धर्म का न सम्मान होता है न धर्म के बारे में कोई उत्साह पाया जाता है और) नेक इरादे के होने के कारण मोमिन तो ज़रूर कहलाते हैं मगर उनकी भला मानसी ख़ुद उनके लिए और जमाअत के लिए भी ख़तरनाक हुआ करती है।

(उद्धरित ख़ुत्बाते महमूद भाग 18 पृष्ठ 206)

इसलिए बहरहाल सम्मान दिखाना चाहिए। अत: ऐसे लोग जो कई बार जमाअत के निज़ाम पर आपत्ति करने वाले होते हैं और इस प्रकार के जो भला मानस लोग होते हैं। वे उनके आपत्ति करने वालों की मज्लिसों में बैठे होते हैं तो वे बहरहाल ग़लत काम करते हैं। केवल भला मानस की यहाँ बात नहीं है भला मानस जो है ऐसी मज्लिसों में बैठे रहना बेग़ैरती बन जाती है। कम से कम इतना सम्मान अवश्य दिखाना चाहिए कि जहां भी ऐसे आपत्ति हो रही हैं उस मज्लिस से उठ जाया जाए और अगर ऐसी बातें करने वाला स्थायी फ़ितना फैलाने वाला हो तो निज़ाम को बताना चाहिए और जमाअत के निज़ाम को समय के ख़लीफा के ज्ञान में यह बात लानी चाहिए ताकि इस को दूर करने के लिए जो भी कदम उठाने हों किए जाएं।

अब एक घटना जमाअत के बाहर के मौलवियों की वर्णन करता हूँ जो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ लोगों को दिलों में द्वेष और वैर भरने की कोशिश करते थे, बरग़लाते थे। कैसे झूठ बोलते थे और बोलते हैं अभी भी और आप पर कैसे कैसे आरोप लगाए जाते हैं। हज़रत मुस्लेह मौऊद फरमाते हैं कि "हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को भी साहिर कहते थे।(ये लोग जादूगर कहते थे) मुझे याद है कि एक दोस्त ने सुनाया कि फिरोज़पुर क्षेत्र में एक मौलवी तकरीर कर रहा था कि अहमदियों की किताबें बिल्कुल नहीं पढ़नी चाहिए। (ग़ैर अहमदी मौलवी अपने लोगों को बता रहा था कि अहमदियों की किताबें बिल्कुल नहीं पढ़नी चाहिए) और कादियान में कभी नहीं जाना चाहिए और इस कज़्ज़ाब ने लोगों को अपनी एक मन गढ़ंत घटना भी अपनी बात के समर्थन में सुना दी। (यह भाषण करते हुए अब वह अपनी बात को कैसे वज़न दे तो उसने यह घटना सुना दी आप ही घड़ के। कहने लगा कि एक बार मैं कादियान गया। मेरे साथ एक

रईस भी था। (हम कादियान गए।) हम मेहमान घर में जा के ठहर गए और कहा कि मिर्ज़ा साहिब से मिलना है। थोड़ी देर में मौलवी नूरुद्दीन साहिब आ गए और बड़ी मीठी मीठी बातें करने लगे। इसके थोड़ी देर के बाद हमारे लिए एक व्यक्ति हलवा लाया और मौलवी नूरुद्दीन साहिब ने कहा कि यह आप लोगों के लिए तैयार किया गया है। मौलवी साहिब कहने लगे। मैं तो जानता था इसलिए समझ गया कि इस हलवे पर जादू किया गया है इसलिए उसे हाथ तक नहीं लगाया मगर मेरे साथी को पता नहीं था उसने वह हलवा खा लिया और मैं कोई बहाना बनाकर वहां से खिसक गया। मौलवी नूरुद्दीन साहिब को यह पता नहीं लग सका कि मैंने हलवा नहीं खाया। (ऐसा मैं दांव चलाया।) थोड़ी देर के बाद मेरा वह साथी कहने लगा जिसने हलवा खाया था कि मेरे दिल को तो ऐसी आकर्षण हो रहा है कि मैं बैअत करना चाहता हूँ मानो उस पर हलवे का असर हो गया मगर मैंने तो खाया ही नहीं था। मौलवी साहिब फरमाने लगे इसलिए मुझ पर माहौल का कोई असर नहीं हुआ। थोड़ी देर हुई थी तो मिर्ज़ा साहिब ने अपनी फिटिन तैयार कराई इस में वह ख़ुद भी बैठे और मौलवी नूरुद्दीन साहिब को भी बिठाया। मुझे भी साथ बिठा लिया। (फिर मौलवी साहिब झूठ बोलते हैं कहने लगे कि मिर्ज़ा साहिब)मुझ से बातें करने लगे में भी अनुभव करने के लिए सिर हिलाता था। (हां हां करता गया।) उन्होंने माना यह मान लेगा इसने हलवा खाया हुआ है (इसलिए यह ज़रूर मान लेगा क्योंकि हलवा पर जादू किया हुआ था। मौलवी साहिब फरमाने लगे) पहले तो उन्होंने कहा कि मैं नबी हूँ फिर थोड़ी देर के बाद कहा मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम्म से भी बढ़कर हूँ (नऊज़ो बिल्लाह) और फिर कहा कि मैं ख़ुदा हूँ। (नऊज़ोबिल्लाह) ये बातें सुनकर मैंने कहा अस्तग़िफ़रुल्लाह यह सब झूठ है।(मौलवी साहिब ने कहा।) इस पर मिर्ज़ा साहिब ने मौलवी नूरुद्दीन से हैरत के साथ पूछा कि क्या उसे हलवा नहीं खिलाया था।? (इस पर जादू ही नहीं हुआ) उन्होंने कहा खिलाया तो था। (तो फिर जादू नहीं हुआ बड़ी हैरानी की बात है लेकिन अल्लाह तआला भी कई बार मौके पर उनके झूठ खोल देता है अत: यहां भी ऐसा ही हुआ।) इसी मज्लिस में मौलवी साहिब की एक ग़ैर अहमदी वकील भी बैठे थे।(लेकिन शरीफ़ थे ग़ैर अहमदी थे) जो किसी जमाने में यहां हज़रत ख़लीफा अव्वल के पास इलाज के लिए आए थे। यह बात सुनकर मौलवी साहिब की वह खड़े हो गए और कहा कि मैं तो मौलवियों से पहले ही शंकित था और समझता था कि ये लोग बहुत झूठे होते हैं लेकिन आज मैंने समझा कि उन से और अधिक झूठा और कोई होता ही नहीं। (वकील साहिब कहने लगे कि) उन्होंने लोगों से कहा कि आप जानते हैं कि मैं अहमदी नहीं। (वकील साहिब ने लोगों से कहा कि आप लोग जानते हैं कि अहमदी नहीं हूँ) मगर मैं इलाज के लिए ख़ुद वहां होकर आया हूँ और वहाँ रहा हूँ। मौलवी ने जितनी भी बातें की हैं। यह सब ग़लत हैं। फिटिन तो दूर वहाँ तो कोई टांगा भी नहीं है और उस ज़माना में यक्के होते थे। (अब यह मौलवी साहिब विवरण वर्णित कर रहे हैं न कि यह फिटिन आ कर खड़ी हुई और इस में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम बैठे और ख़लीफा अव्वल को इस में बिठाया और मुझे बिठा लिया फिटिन की कोई कल्पना ही नहीं थी वहाँ कादियान में उस समय। टांगा भी नहीं होता था) और फिर यह ख़ुदा तआला की भी अजीब कुदरत है कि फिटिन तो आज तक यहाँ नहीं है।(हज़रत मुस्लेह मौऊद जब वर्णन कर रहे हैं तब तक वहाँ कोई फिटिन की कल्पना नहीं थी।) तो हज़रत मुस्लेह मौऊद फरमाते हैं कि अभी भी ऐसे लोग हैं जो समझते हैं कि यहाँ जादू है और इसकी वजह यह होती है कि वे देखते हैं कि जो लोग इस जमाअत में प्रवेश करते हैं। उन्हें मारें पड़ती हैं गालियां दी जाती हैं। बेइज्ज़त होते हैं। उन्हें आर्थिक नुकसान पहुंचाया जाता है फिर भी यह फिदाई रहते हैं और अहमदियत नहीं छोड़ते। वे समझते हैं कि उन्हें मारपीट गाली गलौच और नुकसान की वजह से डर जाना चाहिए मगर उन पर किसी बात का असर ही नहीं होता वास्तव में कोई जादू होता है।"

(उद्धरित ख़ुत्बाते महमूद भाग 23 पृष्ठ 496-498 ई)

इसलिए नि:सन्देह कोई जादू होता है कि अपने विश्वास पर कायम रहते हैं।

अल्लाह तआला इन झूठे मौलवियों से भी उम्मत को बचाए और लोगों को सच्चाई को पहचानने की ताकत प्रदान करे और हमें भी अपनी ज़िम्मेदारियों को समझने की शक्ति प्रदान करे।

एक जनाज़ा हाज़िर है जो आदरणीया सकीना नाहीद साहिबा पुत्री आदरणीय मुहम्मद दीन साहिब मरहूम ऑफ जम्मू कश्मीर का है और यह आदरणीय शेख मुहम्मद रशीद साहिब मरहूम की पत्नी हैं। 3 अप्रैल को 90 साल की उम्र में यहां फौत हो गईं। इन्ना लिल्लाह व इल्ला इलैहि रैजेऊन।

मरहूमा के परिवार में अहमदियत आप के पिता के द्वारा आई थी। मरहूमा ने कश्मीर में विरोध के बावजूद 16 साल की उम्र में बैअत की तौफीक पाई। शादी के बाद पठानकोट निवास किया। हज़रत ख़लीफतुल मसीह सानी और हज़रत उम्मुल मोमनीन जब डलहौज़ी जातीं तो आप को उनकी मेहमानी का अवसर मिलता रहा। पाकिस्तान बनने पर अपने पति के साथ बदोमलही चली गईं। यहां कई साल तक उन्हें सदर लजना के रूप में सेवा की तौफीक़ मिली। 1974 ई में विरोधियों ने आप का घर लूट कर जला दिया लेकिन आप ने बड़े साहस और धैर्य से समय बिताया तो यहाँ यू.के में आ गईं। यहां बड़े प्यार से बच्चों को कुरआन पढ़ाने की ताकत पाई। जमाअत के निज़ाम और ख़िलाफत से बहुत आस्था थी। बावजूद बीमारी और बुढ़ापे के नियमित मुझे समय-समय पर मिलने आती थीं और उनमें बड़ी ही ईमानदारी थी। बहुत नेक, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने वालीं, नमाज़ रोज़ा की पाबन्द बुजुर्ग महिला थीं। मरहूमा मूसिया थीं। आप ने पीछे रहने वालों में तीन बेटियां और तीन बेटे यादगार छोड़े हैं। अल्लाह तआला उनके स्तर ऊंचा करे।

दूसरा जनाज़ा है आदरणीय शौकत ग़नी साहिब शहीद का जो कि काज़ी अब्दुल ग़नी साहिब के बेटे हैं। नधेरी आज़ाद कश्मीर के रहने वाले थे। आजकल रबवा में बसे हैं। यह पाक फौज के अधीन बतौर सिपाही ग्वादर बलूचिस्तान के क्षेत्र पसनी में आपरेशन ज़रबे अज़ब में भाग ले रहे थे। 3 अप्रैल 2016 ई को आतंकवादियों की अचानक फायरिंग से 21 साल की उम्र में देश पर कुर्बान हो गए और शहादत का रुतबा पाया। इन्ना लिल्लाह वा इन्ना इलैहि राजेऊन। मौलवी आरोप लगाते हैं कि अहमदी देश के दुश्मन हैं। अब शहादतें पेश करने वाले और बलिदान देने वाले अहमदी ही हैं।

शहीद स्वर्गीय के परिवार में अहमदियत का आरम्भ उनके पड़दादा आदरणीय काज़ी फिरोज़ दीन साहिब रज़ियल्लाहो अन्हो पुत्र आदरणीय काज़ी खैरुद्दीन साहिब के माध्यम से हुआ जो गोई ... कश्मीर से आदरणीय महबूब आलम साहिब के साथ कादियान जाकर हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के मुबारक हाथ पर बैअत कर के जमाअत अहमदिया में शामिल हो गए। उनके साथ शहीद मरहूम के पड़ नाना आदरणीय बहादुर अली साहिब रज़ियल्लाहो अन्हो ने भी दस्ती बैअत कर के अहमदियत में शामिल हो गए। फिरोज़ दीन साहिब का परिवार गोई में इमाम मस्जिद चला आ रहा था और क्षेत्र में काफी रौबदार था। सुंदर फिरोज़ दीन साहिब को बैअत के बाद अपने परिवार से गंभीर प्रतिकूल विरोद्ध का सामना करना पड़ा। बहिष्कार और संपत्ति से महरूमी के बावजूद आप अहमदियत पर कायम रहे और अल्लाह तआला की कृपा से बड़ा निष्ठावान परिवार था। काज़ी फिरोज़ दीन साहिब को अस्थमा की बड़ी तकलीफ थी। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की सेवा में दुआ का अनुरोध किया। हुज़ूर ने कहा अल्लाह तआला शिफ़ा देगा। इस दुआ की बरकत से आप का गंभीर अस्थमा हमेशा के लिए खत्म हो गया और 80 साल से अधिक आप ने उम्र पाई।

शहीद स्वर्गीय के पिता अब्दुल ग़नी साहिब परिवार के साथ फरवरी 2013 ई में कश्मीर से हिजरत कर के रबवा में शिफ्ट हो गए थे, यहीं निवास करने लगे थे। शहीद का जन्म नधेरी आज़ाद कश्मीर का है जहां वह 4 मई 1995 ई को पैदा हुए। मैट्रिक तक शिक्षा प्राप्त की डेढ़ साल पहले सेना में बतौर सिपाही भर्ती हुए अब प्रशिक्षण पूरा किया था और पासिंग आउट परेड पूरी होने के बाद आजकल आतंकवादियों के ख़िलाफ जो आपरेशन है ग्वादर सेक्टर बलूचिस्तान में ड्यूटी पर तैनात थे दो और तीन अप्रैल मध्य रात्रि को यह शहादत की घटना घटी। शहादत के बाद शहीद मरहूम की लाश कराची के रास्ता से लाहौर और फिर रबवा लाई गई जहां पूरे सैनिक सम्मान के साथ नमाज़ जनाज़ा हुई। शहीद मरहूम वसीयत के निज़ाम में शामिल थे। इसके अलावा असंख्य गुणों के मालिक थे। मिलन सार, मेहमान नवाज़, सहानुभूति का पहलू काफी था। हर एक की मदद के लिए तैयार रहते थे। नमाज़ों के पाबन्द थे। ख़िलाफत से बहुत अधिक लगाव था। दूर दराज़ के क्षेत्रों में भी जब होते थे पोस्टिंग के बाद भी तो सीधा फोन के माध्यम से ख़ुत्बा सुनते थे और शहादत से दो दिन पहले भी अपने

EDITOR
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Editor : +91-9915379255
e-mail : badarqadian@gmail.com
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF THE NEWSPAPERS FOR INDIA AT NO RN XXX
The Weekly BADAR Qadian
Qadian - 143516 Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA
PUNHIND 01885 Vol. 1 Thursday 12 May 2016 Issue No. 10

MANAGER : NAWAB AHMAD
Tel. : +91-1872-224757
Mobile : +91-94170-20616
e-mail:managerbadrqnd@gmail.com
ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 300/-

जमाअत के सारे चंदे अदा कर दिए और आवाज़ भी उनके बड़ी अच्छी थी। नौकरी के दौरान एक फंगशन में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का एक कलाम बड़ी मधुर आवाज़ में वहाँ ग़ैर अहमदियों के सामने उन्होंने सुनाई कई ग़ैर जमाअत भी वहां आए थे उन्होंने बड़ी प्रशंसा की और कहने लगे कि इतना सुंदर कलाम किस का है हम ने तो यह इससे पहले कभी नहीं सुना। उन में मानव जाति से सहानुभूति का गुण भी बड़ा स्पष्ट था। एक बार नौकरी की शुरुआत में उन्हें चार महीने का बकाया एक साथ मिला तो इस अवसर पर एक और सैनिक शहीद हो गए थे उन्होंने अपनी सारी तनख़्वाह अपने साथी शहीद परिवार को उपहार रूप में दे दी हालांकि यह ख़ुद भी घर में अकेले कमाने वाले थे। शहादत की रात शहीद मरहूम के पिता कहते हैं कि मैंने ख़वाब में देखा कि शहीद मरहूम परिवार बड़े बुज़ुर्ग जो फौत हो चुके थे उनके साथ बैठे हैं और उनके चेहरे पर एक बहुत सफेद रंग से भरपूर रोशनी पड़ रही है जिस से इन का चेहरा नूरानी हो गया है जो अन्य लोगों से बहुत स्पष्ट दिखाई दे रहा है। विभिन्न काम रबवा में जब रहे हैं आवास के दौरान यह ज़ईम भी रहे अमूमी की डयूटयाँ भी देते रहे। एक मस्जिद में कुछ समय मस्जिद के ख़ादिम भी रहे। उनकी शादी नहीं हुई थी। पीछे रहने वालों में पिता आदरणीय अब्दुल ग़नी साहिब मां आदरणीया ग़ुलाम फातिमा साहिबा दो भाई और दो बहनें हैं। अल्लाह तआला शहीद मरहूम के स्तर ऊंचा करता रहे और उनके परिजनों को भी धैर्य और साहस प्रदान करे। शहीद अल्लाह तआला के फज़ल से मूसी थे। शायद पहले उल्लेख कर चुका हूँ। जुम्अ: के बाद इंशा अल्लाह तआला इनकी नमाज़ जनाज़ा ग़ायब पढ़ाऊंगा ।

☆ ☆ ☆

अपने रब्ब का शुक्र करो।

अगर कारून को बता दिया जाए कि आपकी जेब में रखा ए.टी.एम कार्ड उस के ख़ज़ाने की उन चाबियों से अधिक उपयोगी है जिन्हें उस समय के सबसे शक्तिशाली इंसान भी उठाने में असमर्थ थे तो कारून पर क्या बीतेगी?

यदि किसरा को बता दिया जाए कि आप के घर की बैठक में रखा सोफा उसके सिंहासन से कहीं अधिक आरामदायक है तो उसके दिल पर क्या गुज़रेगी ?

और अगर कैसर रूम को बता दिया जाए कि उसके ग़ुलाम शुतुरमुर्ग के पंखों से बने जिन पंखों से उसे जैसी और जितनी हुवा पहुंचाया करते थे आप के घर के मध्यम से स्प्लिट ऐसी के हज़ारों हिस्से के बराबर भी नहीं थी तो उसे कैसा महसूस होगा ?

आप अपनी पुरानी सी कार लेकर हलाकू खान के सामने फर्राटे भरते हुए गुज़र जाएं, क्या अब भी उसको अपने घोड़ों पर सवारी का अहंकार और अभिमान बचा रहेगा?

हरकल विशेष मिट्टी से बनी सुराही से ठंडा पानी लेकर पीता था तो दुनिया उसकी इस किस्मत पर ईर्ष्या करती थी। तो अगर उसे अपने घर का कूलर दिखा दो तो वह क्या सोचेगा?

ख़लीफा मंसूर के ग़ुलाम उसके लिए ठंडे और गर्म पानी मिलाकर नहाने की व्यवस्था करते थे और वे अपने आप में फूला नहीं समया करता था, कैसा लगेगा उसे अगर वह तेरे घर में बने हमाम को देख ले तो?

ऊंट पर सवार होकर हज के लिए घर से निकलते थे और महीनों में पहुंचते थे और आज तू चाहे तो जहाज़ में सवार कुछ ही घंटों में मक्का पहुंच सकता है।

मान लीजिए कि आप राजाओं की सी राहत में नहीं रह रहे, बल्कि सच तो यह है कि बादशाह आप जैसी राहत का सोच भी नहीं सकते थे। मगर क्या करें कि आप से जब भी मुलाकात की आप को अपने नसीब से शिकायत करते ही देखा। ऐसा क्यों है कि आप की जितनी राहतें और आराम बढ़ रहे हैं आप का सीना उतना ही तंग होता जा रहा है !!!

अल्हम्दो पढ़िए, शुक्र अदा करें अपने ख़ालिक (निर्माता) की उन नेअमतों का जिनका शुमार भी नहीं किया जा सकता।

हे अल्लाह तू हमें अपना शुक्रगुज़ार बन्दा बना। आमीन

☆ ☆ ☆

पृष्ठ 2 का शेष

पूरा होते हुए देख रहे हैं।

सय्यदना हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया था की अल्लाह तआला की क़सम जिस के हाथ में मेरी जान है मेरी उम्मत 73 सम्प्रदायों (फ़िरकों) में विभाजित हो जाएगी। केवल एक सम्प्रदाय स्वर्गीय होगा। अत: 72 नर्क में जानेवाले होंगे। प्रश्न किया गया की हे अल्लाह के रसूल वह स्वर्गीय सम्प्रदाय कौन सा होगा ? नबी ए करीम सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने उत्तर दिया "वो एक जमाअत होगी"।

ग्यारहवीं सदी हिजरी (अर्थात जमाअत-ए-अहमदिया की स्थापना से तीन शताब्दी पूर्व) हज़रत इमाम अली क़ारी (मृत्यु: 1014 हिजरी) ने फ़रमाया था "अंतिम युग में मुसलमान 73 समुदायों में विभाजित हो जाएँगे"

الفِرقَةُ النَاجِيةُ هُم اَهلُ السُنَةُ البَيضَآءِ المُحَمَّدِيَةِ و الطَرِيقَهِ النَّقيّهِ الاَحمَدِيَّةِ

अर्थात् निजात (मुक्ति) पाने वाला सम्प्रदाय अहल सुन्नत का पवित्र सम्प्रदाय तरीका अहमदिया होगा। (अर्थात् निजात (मुक्ति) प्राप्त करने वाला सम्प्रदाय जमाअत अहमदिया होगी)।

सय्यदना हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने निजात (मुक्ति) प्राप्त करने वाले सम्प्रदाय के लिए यह भविष्यवाणी की थी की वह एक जमाअत होगी। "जमाअत" का स्पष्ट अर्थ समझने के लिए हमें "नमाज़ बा जमाअत के तरीका" की ओर ध्यान देना होगा। तभी हम सय्यदना हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के स्पष्ट अर्थों को समझ पाएंगे। हम सब मुसलमान एक साथ नमाज़ पढ़ते हैं। नमाज़ जमाअत के साथ तभी कहलाती है जब एक इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ने वाले पीछे लाइनों में खड़े होते हैं और जब नमाज़ पढ़ाने वाला (इमाम) अल्लाह अकबर कहता है तो सब पढ़ने वाले हाथ बांध लेते हैं और जब इमाम अल्लाह अकबर कहता है सब पीछे (नमाज़) पढ़ने वाले रुकू में चले जाते हैं और जब वह سَمِعَ اللّٰهُ لِمَن حَمِدَه (समेअल्लाहुलिमन हमिदह) कहता है तो सब रुकू से उठ कर सीधे खड़े हो जाते हैं और यह विधि (तरीका) नमाज़ के अंत तक चलती है।

सोचें कि अगर किसी मस्जिद में सौ नमाज़ी उपस्थित हों उन में से 90 नमाज़ी सफों में खड़े होकर नमाज़ पढें परन्तु उनकी इमामत के लिए कोई इमाम न हो तो उन 90 की नमाज़ "बाजमाअत" नहीं कहलाएगी। यदि उन में से 10 लोग किसी दूसरे कोने में एक को इमाम बना कर 9 उसके पीछे नमाज़ पढें तब उन 10 की नमाज़ नमाज़ बाजमाअत कहलाएगी।

सय्यदना हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्ललाहो अलैहि वसल्लम ने मुक्ति (निजात) प्राप्त करने वाले सम्प्रदाय का वर्णन किया तो इससे आप का अभिप्राय इसी तरह की एक "जमाअत" थी।

वर्तमान युग में प्रत्येक सम्प्रदाय जमाअत होने का दावा करता है परन्तु किसी जमाअत का नेतृत्व और इमामत करने वाले "अलइमाम अल्महदी अलैहिस्सलाम" नहीं हैं। जिन्हें अल्लाह तआला ने "इमाम" घोषित किया है। इस समय हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम के पाँचवे रूहानी ख़लीफ़ा के नेतृत्व में जमाअत अहमदिया विश्व के प्रत्येक कोने में "जमाअत" होने का उदापत्येकण पेश कर रही है। (शेष.....)

(अनुवादक शेख मुजाहिद अहमद शास्त्री)

☆ ☆ ☆

इस्लाम और जमाअत अहमदिय्या के बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें

नूरुल इस्लाम नं. (टोल फ्री सेवा) :
1800 3010 2131
(शुक्रवार को छोड़ कर सभी दिन सुबह 9:00 बजे से रात 11:00 बजे तक)
Web. www.alislam.org, www.ahmadiyyamuslimjamaat.in

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badr, at Fazle-Umar Printing Press Qadian, Harchowal Road Po. Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab, India. Editor Shaikh Mujahid Ahmad